Nai Dunia (Indore), 17th November 2011, Page-2

आईआईटी मामले में केंद्र ने माँगी जानकारी

■ वन विभाग से पूछा 10 करोड़ मिले क्या

इंदौर। केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय ने वन विभाग को पत्र लिख कर आईआईटी को दी जाने वाली वन भूमि के बदले दी जाने वाली मुआवजा राशि के संबंध में जानकारी चाही है। मंत्रालय ने पूछा है कि मुआवजे के 10 करोड़ रु. मिले या नहीं। राशि मिलने पर ही जमीन निर्माण कार्य के लिए आईआईटी को सौंपने की अनुमति दी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि आईआईटी निर्माण के लिए 80 हेक्टेयर जमीन वन क्षेत्र में होने से जमीन के हस्तांतरण को लेकर आपत्ति ली गई थी। इस पर केंद्रीय वन व पर्यावरण विभाग द्वारा वनक्षेत्र की भूमि के उपयोग नियमों के आधार पर पहले चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति सशर्त दी गई है। इसमें आईआईटी प्रशासन या राज्य शासन को जमीन हस्तांतरण के लिए वैकल्पिक पौधारोपण व नेट प्रोजेक्ट कास्ट लगभग 10 करोड़ 60 लाख की राशि वन विभाग को दी जाना है। हाल ही में मंत्रालय की ओर से वन विभाग को एक पत्र मिला है जिसमें राशि के बारे में जानकारी चाही गई है। वन संरक्षक सईद खान के मुताबिक इस संबंध में शासन व प्रशासन के अधिकारियों को अवगत कराया जा रहा है।-नप्र